

यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधारपर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, हरिद्वार के माह 09/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री जोगिंदर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.10.2020 से 14.10.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पंकज कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस.के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 12.09.2018 से 15.09.2018 तक सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 12/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, हरिद्वार का मुख्य कार्य निर्माण कार्य सम्पन्न कराना है। भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- जनपद हरिद्वार, नई टिहरी।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	110.77	100.91	-	-	-	9.86
2019-20	-	-	2.44	1.71	-	-	-	0.73
2020-21 (till 09/2020)	-	-	1.45	0.16	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से नए सिस्टम IFMS लागू होने के उपरांत वेतन एवं अन्य भत्तों संबंधी मदों में बजट आवंटन उच्च स्तर से सीधे कोषागार को किया जाता है।

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	शून्य					
2019-20						
2020-21						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

- प्रमुखसचिव/सचिव, सिंचाईविभाग, उत्तराखण्डशासन,
- प्रमुखअभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाईविभाग, उत्तराखण्ड
- मुख्यअभियन्ता, स्तर-2, सिंचाईविभाग
- मुख्यअभियन्ता, सिंचाईकार्यमण्डल
- अधिशासीअभियन्ता, सिंचाईखण्ड

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में मुख्यअभियन्ता, स्तर II, सिंचाई विभाग, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्यअभियन्ता, स्तर II, सिंचाई विभाग, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2018 एवं 01/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय एवं भिन्न वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

प्रस्तर-1: महाकुम्भ मेला-2021 से संबन्धित एक सड़क निर्माण कार्य की दोषपूर्ण आयोजना एवं तकनीकी स्वीकृति के कारण `134.73 लाख की परिहार्य लागत बृद्धि व लक्षित यातायात हेतु मार्ग तैयार न हो पाना।

भारतीय रोड कांग्रेस (IRC) की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए सतह की मोटाई का निर्धारण मार्ग की मिट्टी की भार वहन क्षमता अर्थात सी.बी.आर. (CBR: California Bearing Ratio) एवं मार्ग पर यातायात घनत्व (TrafficCensus)के आधार पर किया जाता है।

कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-2),सिंचाई विभाग, हरिद्वार द्वारा निर्गत तकनीकी स्वीकृति संख्या-06/मु0अ0ह0/ई0-21(त0स्वी0) दिनांक 29-09-2020 (पुनरीक्षित),जो महाकुम्भ मेला-2021 के अन्तर्गत ऊपरी गंगा नहर के दायें बैंक पर धनौरी-सिडकुललिंग मार्ग (धनौरी पुल से बहदराबाद तक: 8.40 लम्बाई) के निर्माण कार्य (लागत `2205.97 लाख)से संबन्धित थी,की लेखा परीक्षा जांच (अक्टूबर 2020) में पाया गया था किमार्ग निर्माण हेतु 10msa के यातायात घनत्व व CBR-5 प्रतिशत के डिजाइन पर 660mm मोटाई¹की सतहअनुमोदित की गई थी जबकि मार्ग के किमी0-1 से 4 तक के भाग के मिट्टी की भार-वहन क्षमता (CBR) 8.5 प्रतिशत से 9.20 प्रतिशत, किमी0-5 व 6 की CBR-5.80 प्रतिशत,किमी0-7 व 8 की CBR-6.90 प्रतिशत,एवं किमी0-9 के 400 मीटर वाले भाग की CBR-5.50 प्रतिशत थी जिसके लिए IRC-37 में प्रदत्त तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार मार्ग की सतह का निर्धारणपार्श्व में दिये गए विवरण के अनुरूप कम मोटाई के लिए होना चाहिए था। इस प्रकार, लेखा परीक्षा में पाया गया था कि उक्त तकनीकी स्वीकृति के अधीन मार्ग सतह निर्माण की दो कार्यमदों (GSB-300mm एवं DBM-70mm) हेतु अधिक मोटाई के अनावश्यकप्रावधान अनुमोदित थे जिसके कारण कार्य पर `134.73 लाख (विवरण सलग्रक-'क' के अनुसार) की परिहार्य लागत बृद्धि हुयी।

Chainage	Average CBR Value	Pavement composition/thickness (in MM)					Relevant Plate of IRC-37 (2012)
		GSB	Base Course	DBM	BC	Total	
Km- 1 to 4	9 %	200	250	50	40	540	7
Km- 5 & 6	6 %	260	250	65	40	615	4
Km- 7 & 8	7 %	230	250	60	40	580	5
Km-8.0-8.4	6 %	260	250	65	40	615	4

परिहार्य लागत बृद्धि के इस प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता (स्तर-2), हरिद्वार द्वारा उत्तर दिया गया था कितीर्थ-नगरी हरिद्वार में होने वाले स्नान पर्वों एवं औद्योगिक क्षेत्र (SIDCUL) में आने वाले भरी वाहनों को दृष्टिगत रखते हुए इस मोटर मार्ग को न्यूनतम CBR पर डिजाइन किया गया है जिससे वाहनों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके। उत्तर अमान्य था क्योंकि यातायात के वास्तविक आकड़ों को पहले ही मार्ग की 15 वर्ष की प्रक्षेपित आयु (Projectedlife)हेतु IRC विशिष्टियों के अनुरूप 10msaके यातायात घनत्व की गणना में शामिल किया जा चुका है और इन तकनीकी विशिष्टियों के अन्तर्गत मार्ग की सतह निर्धारण हेतु मिट्टी की CBRValueको हमेशा वास्तविकआधार (ActualPercentage) पर लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया था कि उक्त मार्ग का निर्माण महाकुम्भ मेला-2021 के अन्तर्गत हरिद्वार-रुड़की राजमार्ग के अधिक दबाव को कम करने की दृष्टि से वैकल्पिक मार्ग के रूप में किया जा रहा है परन्तु यह मार्ग एक ऐसे पुल (पुरानी गंगनहर पर पथरी रौ में साइफन के डाउनस्ट्रीम में स्थित) से गुजरता है जो 170 वर्ष से ज्यादा पुराना है और भारी आवागमन हेतु पूर्णतः असुरक्षित है। जिसके चलते,संबन्धित खंडीय प्राधिकारियों (उत्तरी गंगनहर खंड-रुड़की, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश) द्वारा इस पुल के प्रयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर (मई 2020) दिया था। इस प्रकार स्पष्ट था कि विभाग द्वारा इस

¹Granular Sub-base (GSB)-300mm, Base Course (WBM)-250mm, Dense Bituminous Macadam (DBM)-70mm, and Bituminous Concreate (BC)-40mm.

कार्य की आयोजना (Planning) दोषपूर्ण थी क्योंकि मार्ग के उक्त स्थान पर नए पुल की आवश्यकता के तथ्य को नज़र-अंदाज़ किया गया था जिसके परिणामस्वरूप जहां एक ओर महाकुम्भ मेला-2021 के वांछित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य पर किए जा रहे सम्पूर्ण व्यय `2205.97 लाख की सार्थकता पर प्रश्न-चिन्ह है वहीं दूसरी ओर विभाग की यह लापरवाही संभावित दुर्घटना के लिए भी एक खुला आमंत्रण है। प्रकरण पर लेखा परीक्षा आपत्ति के स्वीकारते हुए मुख्य अभियंता (स्तर-2), हरिद्वार द्वारा उत्तर दिया गया था कि मार्ग के उक्त स्थान पर नये पुल के निर्माण हेतु वर्तमान में डी.पी.आर. गठन का कार्य किया जा रहा है। इसप्रकार उत्तर से स्वतः स्पष्ट था कि मार्ग निर्माण की मूल स्वीकृति दोषपूर्ण आयोजना (FaultyPlanning)का परिणाम थी क्योंकि इसके अधीन न तो उक्त पुल निर्माण के प्रावधान सम्मिलित नहीं थे और न ही विभाग द्वारा उक्त की पृथक स्वीकृति हेतु समय से प्रयास किए गए थे। विभाग द्वारा इस सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति महाकुम्भ-2021 के लिए एक पूर्ण वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त थी जिसकी पूर्ति विभाग की इस दोषपूर्ण आयोजना (FaultyPlanning) के परिणामस्वरूप अब संभव नहीं है क्योंकि विभाग के पास उक्त पुल को महाकुम्भ-2021 के आयोजन (दिसंबर 2020 के अन्त से मार्च 2021 तक) हेतु तैयार कर पाने का समय शेष नहीं है।

अतः दोषपूर्ण आयोजना एवं तकनीकी स्वीकृति के कारण कार्य पर घटित `134.73 लाख की परिहार्य लागत बृद्धि एवं लक्षित यातायात हेतु मार्ग के तैयार न हो पाने का यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक- 'क'

दोषपूर्ण तकनीकी स्वीकृति के कारण परिहार्य लागत बृद्धि के विवरण

Item of work / road chainages		Measurements (in Metre)			BoQ (in cum)	Avoidable Cost (Amount in `)	
		Length	Width	Differential height		SoR	Amount
GSB	Km 0.00 to 4.00	4000	7.50	0.10 (300-200mm)	3000.00		
	Km 4.00 to 6.00	2152 (#)		0.04 (300-260mm)	645.60		
	Km 8.00 to 8.400	2000		0.07 (300-230mm)	1050.00		
	Km 6.00 to 8.00						
Total					4695.60	1717.50	80,64,693
DBM	Km 0.00 to 4.00	4000	7.00	0.020 (70-50mm)	560.00		
	Km 4.00 to 6.00	2152 (#)		0.005 (70-65mm)	75.32		
	Km 8.00 to 8.400	2000		0.010 (70-60mm)	140.00		
	Km 6.00 to 8.00						
Total					775.32	6975.20	54,08,012
Total avoidable cost of work							1,34,72,705

After deduction of 248m length of Causeway and Bridges, as mentioned in the estimate.

भाग-II'अ'

प्रस्तर-2: मार्ग निर्माणकार्य की स्वीकृति में `271.33 लाख की तकनीकी अनियमितताएँ।

उत्तरखंड शासन द्वारा कुम्भ मेला-2021 के अन्तर्गत वीरभद्र बैराज ऋषिकेश से चंडीघाट हरिद्वार तक 23.70 किमी० लम्बे मार्ग के मरम्मत/जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु शासनादेश स०-2710/आईवी-3/2019-04(19 महाकुम्भ)/2019 दिनांक 05-12-2019 के माध्यम से `1329.29 लाख की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य का निष्पादन परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, ऋषिकेश को सौंपा गया था और कार्य की तकनीकी स्वीकृति संख्या-11/मु०अ०ह०/ई०-21(त०स्वी०) दिनांक 22-01-2020 मुख्य अभियंता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, हरिद्वार द्वारा प्रदत्त थी।

कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, हरिद्वार के अभिलेखों में उपरोक्त वर्णित तकनीकी स्वीकृति की लेखा परीक्षा जांच (अक्टूबर 2020) में निम्नलिखित तकनीकी खामियाँ उजागर हुई थी:

1. स्वीकृति के अधीन मार्ग की 127089.25 वर्गमीटर सतह के नवीनीकरण हेतु 50mm बी.एम. (Bituminous Macadam) एवं 25mm एस.डी.बी.सी. (Semi-dense bituminous concrete) का ओवरले (Overlay) IRC विशिष्टियों के अनुरूप डिज़ाइन था। हालांकि, लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि एस.डी.बी.सी. कार्यमद हेतु मात्रात्मक गणना 30mm मोटाई की परत के लिए की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उक्त कार्यमद हेतु 635.45 घनमीटर की परिहार्य लागत `56,70,139(`8,923.10/cum की दर से) के अनियमित प्रावधान अनुमोदित थे।

कार्यालय द्वारा उक्त त्रुटि को स्वीकारते हुये उत्तर दिया था कि कार्यमद हेतु ठेकेदार के साथ अनुबन्ध 25mm एस.डी.बी.सी. की मात्रा हेतु किया गया है। उत्तर संतोषजन नहीं था क्योंकि उक्त त्रुटि के कारण कार्य पर लागत बृद्धि हुई थी और अगर विभाग को उक्त गणितीय त्रुटि विभाग के संज्ञान में थी तो अबतक कार्य के तकनीकी स्वीकृति को तदानुसार पुरीक्षित कर `56.70 लाख की वित्तीय स्वीकृति को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था।

2. कार्य का आगणन पौड़ी जनपद के यमकेशवर ब्लाक हेतु लागू PWD-SoR के आधार पर अनुमोदित था जबकि यह मार्ग ऋषिकेश व हरिद्वार शहरों को आपस में जोड़ता है (ऋषिकेश के वीरभद्र बैराज से गंगा नदी के बायें तट पर समानान्तर रूप निकलते हुए हरिद्वार मुख्य शहर के चंडीघाट पुल पर समाप्त होता है) और पूर्णतः मैदानी भाग में स्थित है। यद्यपि मार्ग के आरम्भ के कुछ किमी० जनपद पौड़ी की गंगा नदी वाली सीमा क्षेत्र में पड़ते हैं परन्तु अधिकांश भाग हरिद्वार जनपद की सीमा भीतर पड़ता है (जैसा की मानचित्रों से स्पष्ट है)। उल्लेखनीय है कि PWD-SoR में मैदानी क्षेत्रों में सामग्री उपलब्धता, ढलान, श्रम एवं मशीनरी की कम लागत के कारण कार्य-निष्पादन की दरें पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों की तुलना में काफी कम होती है। इसलिए व्यवहारिकता एवं मितव्ययिता को दृष्टिगत इस कार्य का पूर्ण आगणन पौड़ी जनपद के PWD-SoR की बजाय हरिद्वार जनपद के PWD-SoR के आधार पर अनुमोदित होना चाहिए था जिससे कार्य पर लागत भिन्नता के कारण `199.26लाख (विवरण **सलग्रक-1** के अनुसार)की बचत संभव थी।

इस बिन्दु पर लेखा परीक्षित कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि यह मार्ग लगभग पूर्ण रूप से पौड़ी जनपद के यमकेशवर ब्लाक में स्थित है इसलिए तदानुसार ही PWD-SoR की दरों पर तकनीकी स्वीकृति दी गई है। उत्तर इस तथ्य के आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि कार्य क्षेत्र हरिद्वार मुख्य शहर से आरम्भ होता है जिसके निष्पादन हेतु पहाड़ी क्षेत्र के उच्च लागत दरों के SoR की आवश्यकता नहीं थी और व्यवहारिकता/मितव्ययिता की दृष्टि से उक्त का अनुमोदन हरिद्वार जनपद के PWD-SoR पर होना चाहिए था जिससे कार्य पर `199.26लाख बचत सम्भव होती।

3. इस तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत मार्ग के 6254.46वर्गमीटर भाग में ग्रेनुलर बेस कार्य निष्पादन (WBM + Prime Coat) हेतु `15.37 लाख की लागत के प्रावधान अनुमोदित थे। हालांकि, लेखा परीक्षा को कार्यालय के अन्य अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञान्त हुआ था कि उक्त खंड (परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, ऋषिकेश) द्वारा इस मार्ग

के सभी क्षतिग्रस्त भाग में `186.17लाख की लागत से नवम्बर/दिसम्बर 2018 में पेच मरमत (PatchRepair)के कार्य करवाये गए थे। अतः स्पष्ट था कि या तो विभाग द्वारा मार्ग पर मात्र एक वर्ष पहले किए गए अनुरक्षण के कार्य अधोमानक थे जिससे मार्ग की सतह इतनी जल्दी पुनः क्षतिग्रस्त हो गई अन्यथा वर्तमान स्वीकृति के `**15.37 लाख** की लागत के ये प्रावधान अनावश्यक थे।

इस लेखा परीक्षा आपत्ति पर कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि इस मार्ग का लगभग 8-किमी0 हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाने की अनुमति न मिल पाने तथा वर्षा काल में जंगल का पानी सड़क पर आ जाने व ट्रेफिक का अत्यधिक दबाव होने के कारण इस रिच में सड़क जगह-2 अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है और गड्ढे बन जाते है। हालांकि, उत्तर इस तथ्य के आलोक में स्वीकार्य नहीं था कि यदि मार्ग के इस भाग की वस्तु-स्थिति वास्तव में विभागीय उत्तर के अनुसार है तो कार्य की तकनीकी स्वीकृति पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है। क्योंकि विभाग द्वारा इस पूर्ण मार्ग के फ्लेक्सिबल बिटुमिन सतह को आगामी 15 वर्षों की आयु सीमा के लिए डिजाइन किया गया है जो संधर्वित्त परिदृश्य में एक साल के भीतर पुनः क्षतिग्रस्त हो जाएगी। इसलिए इस भाग के सी.सी. रीजीड सतह (CementConcreteRigid Pavement) के प्रावधान होने चाहिए थे।

अतः उपरोक्तानुसार कुम्भ मेला-2021 के मार्ग निर्माण कार्य से संबन्धित `**271.33 लाख**की तकनीकी अनियमिताओं का यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक-1

कार्य के आगणन में जनपद पौड़ी एवं हरिद्वार के SoR पर लागत भिन्नता का विवरण

(Amount in)

Sl No	Item of work	PWD SoR Item No.	SoR for Pauri district (Yamkeshwar B. No.48)	SoR for Haridwar (Bahdrabad B.No.93)	Difference (in `) [4-5]	BoQ as per TS	Cost effect [6 x 7]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	WBM (G-3)	4-7-3 Mord	2788.90	2208.00	580.90	478.58	2,78,007
2	Primer coat	5-1-1 Mord	32.70	31.70	1.00	6354.46	63,545
3	Tack Coats	3-1-1 Misc.	14.00	13.30	1.30	254178.5	3,30,431
4	BM	5-3-2 Morth	7537.90	5917.90	1620.00	6354.46	1,02,94,225
5	SDBC	3-5-4 Misc.	8923.10	7359.10	1564.00	3812.68	59,63,032
6	CC M-25	11-4-5 Mord	6688.60	5515.60	1173.00	494.00	5,79,462
7	Brick edge Pavement	2-4 Misc.	593.20	486.40	106.80	3496.00	4,16,093
8	Earthen Shoulders	15-2-1 Mord.	97.70	67.50	30.20	46000.00	13,89,200
9	Thermoplastic work	5-10 Misc.	438.10	437.50	0.60	5214.00	3,128
10	RR Stone Mas. 1:5	12-4-3-3 Mord	3369.90	3266.90	103.00	435.00	44,805
11	Road Studs/Cat Eye	5-2 Misc.	295.00	271.20	23.80	23700.00	5,64,060
Total							1,99,25,988

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-3: विभाग द्वारा सेतु निर्माण कार्य में अनियमित दर-विश्लेषण के आधार पर आगणन स्वीकृत किए जाने के कारण ₹51.35 लाख की लागत वृद्धि एवं ठेकेदारकोअदेयलाभ प्रदान किया जाना।

'Technical sanction' is the approval to the detailed designs, plans, specifications and quantities by the competent Engineering authority, it amounts to no more than a guarantee that the proposals are structurally sound and the estimates are accurately calculated and based on adequate data. (Paragraph 318 of Financial Handbook, Volume VI & definition provided in Budget manual)

कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, हरिद्वार के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच (अक्टूबर 2020) में पाया कि शासन द्वारा महाकुंभ-2021 के अंतर्गत "जनपद हरिद्वार में रानीपुर झाल पर 70 मी० स्पान के स्टील गर्डर सेतु के निर्माण" की स्वीकृति² के सापेक्ष सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। सेतु निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति (DPR) मुख्य अभियंता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, हरिद्वार द्वारा '867.99 लाख की प्रदान (01/2020) की गयी। तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत लो०नि०वि०, उत्तराखंड द्वारा जारी Schedule of rates (SoR) की दर³ में 15% अतिरिक्त Overhead Charge को शामिल⁴ करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी।

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त कार्य की DPR में शामिल कार्य मद के दर विश्लेषण की जांच में पाया कि कार्य मद Supply and fabrication of steel truss bridge के दर विश्लेषण में उपरोक्त प्रावधानों से अधिक Overhead (21% in place of 17.5% in SOR-Miscellaneous item/4-1) भारित किए जाने एवं कार्य मद RCC Crash Barrier with M-40 के दर विश्लेषण में sub-Item 14-1-E/M-40 grade concrete की गलत दर (₹7875.62/cum in place of ₹6563/cum in SOR-MORTH item/8-22) के आधार पर गणना किए जाने के कारण ₹1493496.00 लागत की अधिक तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके कारण निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि हुई और उक्त का सीधा लाभ ठेकेदार को प्राप्त होगा।

SoR items No. & Name	Rate as per TS (₹)	Rate to be applied (₹)	Excess Rate (₹)	Quantity Provisioned	Excess TS Amount (₹)
1	2	3	4 = (2-3)	5	6 = (4 x 5)
SOR-Miscellaneous/4-1 (Supply and fabrication of steel truss bridge.....)	89702.77/MT	86118.73/MT (Annexure -I)	3584/MT	401 MT	1437184.00
SOR-MORTH/8-22 (RCC Crash Barrier)	4153.09/RM	3759.30/RM (Annexure -I)	393.79/RM	143 RM	56311.97
Total amount (Excluding GST)					1493495.97

आगे जांच में पाया कि विभाग द्वारा DPR बनाते समय कार्यस्थल की तकनीकी पहलुओं का संज्ञान नहीं लिए जाने के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के पश्चात् प्रस्तावित सेतु की Drawing/Design परिवर्तित⁵ करना पड़ा।

² शासनादेश संख्या-2509/iv-3/2019-04 (63 महाकुंभ)/2019 दिनांक 08/11/2019; 867.99 लाख

³ MORTH-SoR/2019-20; & SOR-Miscellaneous/2019-20 item effective from 01 May 2019

⁴ प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि०, उत्तराखंड, कार्यालय ज्ञाप संख्या-408/10/अधिप्राप्ति-प्रकीर्ण/2018; दिनांक 12/05/2018.

⁵

DPR में सेतु के Abutment निर्माण हेतु well foundation का डिजाइन प्रस्तावित किया गया था परंतु निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के उपरांत, कार्यस्थल की परिस्थितिके अनुसार well foundation का डिजाइन व्यावहारिक न होने के कारण प्रमुख अभियंता द्वारा गठित समिति द्वारा well foundation के स्थान पर Pile foundation के निर्माण की संस्तुति की गयी।

सेतु का Redesign किए जाने के कारण खंड द्वारा Extra Item⁶का आगणन (₹106.09 lakh, including GST) गठित कर मुख्य अभियंता की स्वीकृति प्राप्त (04/2020) की गयी। उक्त Extra Item के आगणन की लेखा परीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा Extra Item हेतु PWD-SOR दर को न अपनाकर पृथक दर विश्लेषण किया गया है। उक्त दर विश्लेषण में विभाग द्वारा कार्य मद SOR-MORTH specification No.12-25 में Machine Component PMC128 हेतु प्रावधानों से अधिक समय (0.5 day in place of 0.5 hours) के आधार पर गणना की गयी है और PMC-100 हेतु Standard Output (0.67 hour/meter) के आधार पर गणना न कर कम Output (2.33 hour/meter) के आधार पर दर विश्लेषण के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी जबकि उक्त Extra Item की बाजार मूल्य पर आमंत्रित किए गए Quotation पर आधारित लागत मात्र ₹72.00 लाख थी।

अतः Prevailing market rate को दरकिनार कर कम Output के आधार पर गणना किए जाने के कारण कुल ₹3641576.40 (Annexure-II) की अधिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि हुई जिसका लाभ ठेकेदार को प्राप्त होगा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा, अधिक Overhead भारित किए जाने/गलत दर के आधार पर गणना किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त दरें शासन से अनुमोदित हैं। कम Output के आधार पर गणना किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त Extra Item मद PWD-SoR में न होने के कारण SoR के skelton के आधार पर कार्यस्थल पर वास्तविक समय के अनुसार दर विश्लेषण किया गया है। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि कार्य की तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है कि आगणन में ली गयी दरें PWD-SOR/DSR से ली गयी हैं। कम Output/वास्तविक समय के आधार पर दर विश्लेषण कर ठेकेदार को उच्च दर अनुमन्य किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि Pile foundation हेतु सेतु की Site/Strata में परिवर्तन कोई नहीं हुआ है तथा उक्त Extra Item की बाजार मूल्य पर आमंत्रित किए गए Quotation पर आधारित लागत मात्र ₹72.00 लाख ही है।

अतः विभाग द्वारा अनियमित रूप से Overhead भारित किए जाने और Less Machine Output के आधार पर दर विश्लेषण किए जाने के कारण ₹51.35 लाख (Excluding GST) की लागत वृद्धि एवं ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

⁶Boring by piling machine and casing driving as per SOR-MORTH specification No. 12-25 (Bored cast-in-situ M-35 grade R.C.C. pile excluding reinforcement complete as per drawing and technical specifications and removal of excavated earth with all lifts and lead upto 1000 m, excluding liner.)

SOR-Miscellaneous/4-1 (Supply and fabrication of steel truss bridge as per detailed drawing attached.....)						
Unit = MT	Taking output = 1MT					
Code	Resource	Unit	Qty.	Rate		Amount
Labour						
PL03	Blacksmith 1st class/ Electrician	day	4	450	per day	1800
PL15	Beldar/mazdoor (unskilled)	day	20	315	per day	6300
PL16	Mazdoor (Semi skilled)	day	1	338	per day	338
PL17	Mazdoor/Beldar (Skilled)	day	1	385	per day	385
PL31	Coolie	day	2	315	per day	630
PL38	Mistry	day	1	450	per day	450
PL55	Khallasi/ Helper	day	2	385	per day	770
Material						
PM0093	Jute rope 12 mm dia	Kg	50	62	per Kg	3100
PM0098	Local Wood Piles (1st Class) 100 mm	Cum	0.45	17391	per Cum	7825.95
PM0101	MS Flat / Structural Steel (Fe 250)	MT	1.025	42000	per MT	43050
PM0105	Nuts, Bolts and Rivets	Kg	20	71.3	MT/KG	1426.4
PM0637	Welding by gas plant	Cm	500	1.6	per Cm	800
Total Resource Cost						66875.35
Contractors Profit & Overhead Charge 12.5% +15% (additional for bridge)					18390.72	85266.07
Labor Cess @1%					852.66	86118.73
Rate for 1 MT without GST					86118.73	

SOR-MORTH/8-22 (RCC Crash Barrier)						
Unit = Rmt	Taking output = 10Rmt					
Code	Resource	Unit	Qty.	Rate		Amount
Labour						
PL14	Mate	day	0.04	338	per day	13.52
PL15	Beldar/mazdoor (unskilled)	day	1	315	per day	315
Machine						
PMC031	Tractor with trolley	hours	0.25	360	per hours	90
Material						
PM0127	Steel Reinforcement (HYSD Bars) –Fe	Ton	0.28	46000	per Kg	12880
PM0266	Pre-moulded asphalt filler board	Sqm	0.32	62	per Cum	19.84
Total Resource Cost						13318.36
Sub-Item						
14-1-E	M-40 grade concrete	Cum	3	6563		19689.00
	Overhead (@21%) = 13318.36*21%				2796.86	16115.22
	Contractors Profit @10%				1611.52	17726.74
	Labor Cess @1%				177.27	17904.00
	Total cost for 10 Rmt (17904 + 19689)				37593.00	
	Rate for 1 Rmt without GST				3759.30	
14-1-E						
	Basic Cost of Labour, Material & Machinery for 1 cum PSC Grade M-40					4882.07
	Overhead (@21%) = 4882.07*21%				1025.23	5907.30
	Contractors Profit @10%				590.73	6498.04
	Labor Cess @1%				64.98	6563.02
	Unit Cost of M-40 grade concrete					6563.02

Annexure-II

Bored cast-in-situ M35 grade R.C.C. pile excluding reinforcement complete as per drawing and technical specifications and removal of excavated earth with all lifts and lead upto 1000 m. (Pile diameter-1200 mm)						
Unit = Rmt						
Taking output = 9.00 Rmt						
Code	Resource	Unit	Qty.	Rate		Amount
Labour (Piling Rig)						
PL14	Mate	day	0.18	338	per day	60.84
PL14	Beldar/mazdoor (unskilled)	day	4.5	315	per day	1417.5
Machine (Piling Rig)						
PMC012	Front end-loader - cum bucket	hours	0.5	900	per hours	450
PMC100	Piling rig including double acting pile driving hammer (Hydraulic rig)	hours	6	4400	per hours	26400
PMC069	Tipper (5cum) Per Hour	hours	0.5	475	per hours	237.5
PMC0128	Hire and running charges of light	hours	0.5	2855.0	per day	178.44
Machine for Permanent Casing (Liner Sinking efforts)						
PMC100	Piling rig including double acting pile driving hammer (Hydraulic rig)	hours	6	4400	per hours	26400
PM0637	Welding	per RM	22.6	160	per RM	3616
Total Resource Cost						58760.28
Sub-Item						
12-11-C-4-2	PCC Grade M-30	Cum	10.17	6354.71		64627.40
	Overhead (@21%)		.		12339.66	71099.94
	Contractors Profit @10%				7109.99	78209.93
	Labor Cess @1%				782.10	78992.03
	Total cost for 9 Rmt				143619.43	
	Rate for 1 Rmt without GST				15957.71	
				Say	15958	

Additional Sanctioned Rate = 25924 - 15958 = `9966

Quantity provisioned = 365.4 mtr

Additional Sanction = `9966 x 365.40 = `3641576

भाग III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
45/2018-19	--	01	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तरों के अनुपालन में तत्कालीन अधिकारियों से वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---शून्य---

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधानमहालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखण्ड,देहरादूनलेखापरीक्षाअवधिमेंअवस्थापनासंबंधीसहयोगसहित मांगेगयेअभिलेखएवंसूचनाएंउपलब्धकरानेहेतुमुख्यअभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, हरिद्वार तथाउनकेअधिकारियोंएवंकर्मचारियोंकाआभारव्यक्तकरताहै।तथापिलेखापरीक्षामेंनिम्नलिखितअभिलेखप्रस्तुतनहींकिये गये:

(i) शून्य

2. सतत्अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षाअवधिमेंनिम्नलिखितअधिकारियोंद्वाराकार्यालयाध्यक्षकाकार्यभारवहनकियागया

क्र.सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री दिनेश चन्द्र	मुख्यअभियंता	01.12.2016 से 20.02.2020 तक
2.	श्री जयपाल सिंह	मुख्यअभियंता	20.02.2020 से वर्तमान तक

4. विगतसम्प्रेक्षासेअबतकनिम्नलिखितखण्डीयलेखाधिकारीखण्डसेसम्बद्धरहे।

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षाटिप्पणीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालयमुख्यअभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, हरिद्वार कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउपमहालेखाकार/ए०एम०जी० - I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार(लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून-248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी० - I